IN THE COURT OF Sri Dharmendra Kr. Tiwari, Spl. Judge. Ex.II , KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0. 130 of 2026

Nitish Kumar S/o Rameshwar Rai, R/o Vill.- Bariyarpur, P.S.-Ahmedpur Ward No.-13 , P.S.- Rajapakar, Distt.-Vaishali (Bihar)------------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Excise (Bhabua) P.S.Case No. 617 of 2025)

07.02.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदक **नितिश कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **मद्यनिषेध व उत्पाद थाना, भभुआ काण्ड** सं0–617/2025 ***धारा 30(a),32(i)&(iii), 41(i)&(ii) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के विन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलपति पाण्डेय एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री निशीकांत निलेश को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं, उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस केस में जप्त स्वीफ्ट कार रजि0नं0 BR0KB3872 के स्वामी होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है। इनका कथन है कि आवेदक ने अपनी उपरोक्त कार को रू0 8000/– महीना पर चलाने के लिए प्राईवेट चालक प्रिंस कुमार को दिया था, जो उक्त कार को घटना तिथि को आवेदक से मांग कर ले गया था कि उसे परिवार को लेकर वाराणसी जाना है, किन्तु चालक के द्वारा आवेदक के वाहन का मिसयुज कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर गलत कार्य किया गया है। इनका कथन है कि आवेदक को इस केस के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के निर्दोष होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि आबकारी पुलिस के द्वारा घटना तिथि एवं समय को वाहन जॉच के दौरान एक स्वीफ्ट कार रजि0नं0 BR01CB-3872 से परिवहन करते हुए दो व्यक्तियों आसिफ रजा एवं प्रिंस कुमार को पकडा गया था, जिनकी एवं वाहन की विधिवत तलाशी ली गई थी तो वाहन में बने दो अलग–अलग गुप्त तहखाने से विभिन्न ब्रांडों के कुल 97.110 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किये गये।

केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं

IN THE COURT OF Sri Dharmendra Kr. Tiwari, Spl. Judge. Ex.II , KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0. 130 of 2026

Nitish Kumar S/o Rameshwar Rai, R/o Vill.- Bariyarpur, P.S.-Ahmedpur Ward No.-13 , P.S.- Rajapakar, Distt.-Vaishali (Bihar)------------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Excise (Bhabua) P.S.Case No. 617 of 2025)

लगातार/ 07.02.2026

उपरोक्त जप्त कार में बने गुप्त तहखाने से कुल 97.110 लीटर अवैध विदेशी शराब छुपाकर परिवहन करते हुए वाहन में सवार अभियुक्तगण आसिफ रजा एवं प्रिंस कुमार की रंगेहाथ गिरफ्तारी की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। प्राप्त केस डायरी की कण्डिका–5 एवं 9 के अवलोकन से यद्यपि स्पष्ट होता है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, किन्तु आवेदक, जो इस मामले में जप्त वाहन का स्वामी है, उसकी जानकारी व मर्जी के वगैर उसकी कार में कोई गुप्त तहखाना बनवाया जाना विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध का स्पष्ट मामला बनता प्रतीत हो रहा है। मामला अभी अनुसंधान के अधीन है। अपराध की प्रकृति गम्भीर है। वहीं बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध भी करती है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **नितिश कुमार** की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

ह0/–धर्मेन्द्र कु0 तिवारी

वि0न्या0उत्पा0–II